भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 241

मंगलवार, दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

अपतटीय पवन ऊर्जा का विकास

241 श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 2026 की स्थिति के अनुसार अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की आबंटित, निर्माणाधीन और चालू क्षमता संबंधी राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत जुटाया गया निवेश कितना है; और

(ग) ग्रिड संपर्क, पारेषण (ट्रांसमिशन) अवसंरचना और पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में किन-किन बाधाओं की पहचान की गई है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा शिक्षा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

'अपतटीय पवन ऊर्जा का विकास' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.08.2026 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 241 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): सरकार ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और आवश्यक लॉजिस्टिक्स को पूरा करने के लिए दो बंदरगाहों के उन्नयन के लिए अनुदान हेतु 7453 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ सितंबर, 2024 में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजना की शुरूआत की है।

गुजरात और तमिलनाडु, प्रत्येक के तट पर 500 मेगावाट के परियोजना स्थलों का सीमांकन किया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के माध्यम से सीमांकित स्थलों में पवन संसाधन मापन, भूभौतिकीय और भू-तकनीकी अध्ययन किए हैं। इसके अलावा, तेजी से पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया गया है। सीमांकित स्थलों के लिए राष्ट्रीय अपतटीय पवन नीति के अनुसार, अपेक्षित चरण-1 स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। तथापि, चयनित डेवलपर को परियोजना कार्यान्वयन शुरू करने से पहले सभी आवश्यक परियोजना-विशिष्ट वैधानिक और पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन करने की आवश्यकता है।

VGF योजना के तहत, गुजरात तट से दूर 500 मेगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) द्वारा पहली निविदा दिनांक 13.09.2024 को जारी की गई थी। यह निविदा दिनांक 31.07.2025 को बिना किसी बोली प्राप्त हुए बंद कर दी गई थी।

दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, किसी भी राज्य में कोई अपतटीय पवन क्षमता आबंटित नहीं की गई है या निर्माणाधीन या चालू नहीं की गई है।

त्वरित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अध्ययन के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार, सीमांकित परियोजना स्थलों के भीतर कोई बड़ी पर्यावरणीय बाधाएं नहीं पाई गई हैं। ग्रिड कनेक्टिविटी, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में पहचानी गई प्रमुख बाधाओं में अन्य के साथ शामिल हैं-

क. ट्रांसमिशन सब-सी केबल्स सहित अपतटीय ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर की उच्च लागत।

ख. अपतटीय सब-स्टेशन और निर्यात केबलों की स्थापना के लिए विशेष संबद्ध लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी।

ग. एक नया और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र होने के कारण, वर्तमान में देश के भीतर तकनीकी विशेषज्ञता की सीमित उपलब्धता।

घ. अपतटीय पवन विद्युत परियोजना के चालू होने और अलग-अलग डेवलपर्स द्वारा निर्मित ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर की तैयारी के बीच के अंतर का अनुमानित जोखिम।
